



न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश न्यायालय सर्किट कोर्ट री वाम
 प्रकाश नगर 17/3494



- 11 शिवलाल सिंह तनय बृजभान सिंह
- 12 महुषधारी सिंह तनय बृजभान सिंह



85-301

- 13 कबीर सिंह तनय बृजभान सिंह
- 14 लाली निवासी ग्राम नदना तहसील सिरमौर जिलारी वा मध्य
 ===== निगरानीकतगिण

काम

- 15 बीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्वर्णि सत्यनारायण सिंह
- 16 योगेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व० सत्यनारायण सिंह
- 17 नामेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व० सत्यनारायण सिंह
- 18 नामेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री सत्यनारायण सिंह
- 19 सत्येन्द्र प्रताप सिंह सिंह तनय स्व० श्री सत्यनारायण सिंह

लाली निवासी ग्राम नदना तहसील सिरमौर जिला-री वा मध्य
 ===== गैरनिगरानीकतगिण

निगरानी बिरुद्ध आदेश न्यायालय कमिश्नर री वा
 संभाग री वा के प्र० क्र० 39/निग०/०9-1० आदेश
 दिनांक- 4/9/2017

=====

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म० प्र० भू० रा० सं०
 1959 इ०.

=====

नायबर,

निगरानी के आधार निम्नलिखितह :-

- 1:- यहकि अधिनिस्था अ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के बिबरील होने से निरस्त किए जाने योग्यह ।
- 2- यहकि अधिनिस्था न्यायालयों ने इस कानुनी बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि निगरानीकतगिणों ने प्र नायब तहसीलदार सर्किट कुण्डपुर तहसील सिरमौर के

क्रमशः 2...पर

श्री कानूनी

1099 प्रहरीकतगिण
 125-9-17

काम आफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
 (सर्किट कोर्ट) राबल

Star

09-2017-408 PM



27

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 391/1917/3794 जिला-रीवा

शिवलाल सिंह विरुद्ध अरुण सिंह

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अरुण कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपस-कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 391/1917/3794 में पारित आदेश दिनांक 4-09-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25-09-2017 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	30)

h

सदस्य

मा कि
के

25/09/2017, 4:08 PM

क्रमांक: 2...पर

शिवलाल सिंह